RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 27 / 2025, **GCMS NO:- 2025/155**

अपीलांट– **बनाम**

1. श्री बाबुखां पुत्र आलमखां जाति मुसलमान निवासी नवोड़ा बेरा, तहसील पाटोदी, जिला बालोतरा।

रेस्पोडेंट्स –

1. श्रीमती हनीफो पत्नी मलूखां
2. श्री अब्दूलखां पुत्र मलूखां
3. श्री शेरूखां पुत्र दीनूखां
4. श्री सफीखां पुत्र दीनूखां
5. श्री पीरेखां पुत्र मकणेखां
6. श्री वलीखां पुत्र मकणेखां जातियान मुसलमान निवासियान नवोड़ा बेरा, तहसील पाटोदी, जिला बालोतरा।
7. श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पाटोदी, जिला बालोतरा।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध प्रशासन आपके द्वार अभियान 2021 कैम्प स्थल नवोड़ा बैरा आदेश दिनांक 08.12.2021 के दौरान तहसीलदार पाटोदी द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुरेश नारायण खारवाल, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री राजेश्वरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 4 की ओर से उपस्थित।
3. श्री प्रेमराज पंवार, अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण संख्या 5, 6 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेंट संख्या 7 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 03.06.2026

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार पाटोदी के द्वारा प्रशासन आपके द्वार अभियान 2021 कैम्प नवोड़ा बेरा विभाजन हेतु पारित विभाजन आदेश क्रमांक / राजस्व / 2021 / 07 दिनांक 08.12.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 10.09.2025 को पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि कि अपीलांट तथा रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 6 की सह खातेदारी खसरा संख्या 2135 रकबा 90.04 बीघा की भूमि मौजा अमदपुरा, पटवार हल्का नवोड़ा बेरा केसरपुरा, तहसील पाटोदी, जिला बालोतरा में

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बालोतरा

अवस्थित है। उक्त खसरे में से 1/2 हिस्सा रेस्पोडेट संख्या 5, 6 का है तथा शेष 1/2 हिस्से में अपीलांट की माता सरीफो बैवा आलमखां का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 1 का था तथा 1/3 हिस्स रेस्पोडेंट संख्या 2 ,3, 4 का था। उक्त खसरान भूमि अपीलांट एवं रेस्पोडेटगण के संयुक्त खातदारी है। जिसमें अपीलांट एवं रेस्पोडेंटगण के हकपूर्वाधिकारी का संयुक्त खातेदारी का रहा है। उक्त भूमि के खातेदारान अपीलांट व रेस्पोडेंटगण ने प्रशासन आपके द्वार अभियान 2021 कैम्प नवोड़ा वेरा में सह खातेदारान द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08.12.2021 को उपस्थित हुए संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। प्रस्तुत सहमति विभाजन पर तथा पटवारी रिर्पोट के आधार पर तहसीलदार पाटोदी विभाजन आदेश क्रमांक/राजस्व/2021/07 दिनांक 08.12.2021 द्वारा पारित किया गया। उक्त अपीलाधीन विभाजन आदेश के विरूद्ध यह अपील अपीलांट द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. रेस्पोडेंटगण संख्या 5 व 6 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब में कथन किया कि मौजा नेमदपुरा, पटवार हल्का नवोड़ा बैरा, केसरपुरा, तहसील पाटोदी की सरहद में खसरा नंबर 2135 रकबा 90 बीघा 04 विस्वा भूमि अवस्थित है। उक्त खसरान संपूर्ण भूमि रेस्पोडेंट संख्या 05 व 06 के एकल खातेदारी की थी, जिसमें से 1/2 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 05 व 06 के द्वारा अपीलांट की माता स्वर्गीय सरीफो बैवा आलमखां व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 को समान व शामलाती के रूप में आज से करीबन 15 वर्ष पूर्व बैचान की गई थी। बैचान के उपरांत उक्त खरीद विशेष भूमि का कब्जा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 ता 04 के हक पूर्वाधिकारियों को सुपुर्द किया गया, जिस पर आज रोज उक्त सभी बतौर खातेदार काबिज है। अपीलांट व रेस्पोडेंट के हक पूर्वाधकारियों ने वर्ष 2021 प्रशासन गावों के संग कैंप नवोड़ा बेरा में दिनांक 08.12.2021 को उपस्थित होकर मूल खसरा नंबर 2135 का विधिक बंटवाड़ा किया गया। जिसके अनुसार अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 ता 04 के हक पूर्वाधिकारियों

न्यायालय जिला कलक्टर बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

ने जो भूमि खरीद की गई उक्त भूमि को अपने हिस्से में तथा जिस पर हम रेस्पोडेंट संख्या 05 व 06 बतौर मूल खातेदार भूमि पर काबिज थे, का बंटवाडा कर खसरे अलग किये गये। जिससे हम अपीलांट के हिस्से में नया खसरा नंबर 2265 / 2135 रखा गया तथा शेष 1 / 2 भूमि जो अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 ता 04 के हक पूर्वाधिकारियों ने खरीद कर कब्जा प्राप्त किया उसके तीन नये खसरे 2266 / 2135, 2267 / 2135 व 2268 / 2135 बनाये गये, जो उनके कब्जे कास्त के अनुसार उनके खातेदारी के नाम से दर्ज किये गये। रेस्पोडेंट संख्या 05 व 06 के कब्जे कास्त की भूमि खसरा संख्या 2265 / 2135 को लेकर आज रोज भी कब्जे को लेकर कोई विवाद नहीं है। मुख्य विवाद अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 ता 04 के कब्जे को लेकर है। अतः रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 का खसरा संख्या 2265 / 2135 को यथावत रखते हुए अपीलांट के खसरा संख्या 2267 / 2135, रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 4 के खसरा संख्या 2266 / 2135, 2268 / 2135 में पुनः संशोधित विभाजन करने हेतु अधीनस्थ न्यालालय तहसीलदार पाटोदी को रिमाण्ड करने का आदेश फरमावे।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया अपीलांट तथा रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 6 की सह खातेदारी खसरा संख्या 2135 रकबा 90.04 बीघा की भूमि मौजा नेमदपुरा, पटवार हल्का नवोड़ा बेरा केसरपुरा, तहसील पाटोदी, जिला बालोतरा में अवस्थित है। उक्त खसरे में से 1 / 2 हिस्सा रेस्पोडेट संख्या 5, 6 का है तथा शेष 1 / 2 हिस्से में अपीलांट की माता सरीफो बैवा आलमखां का 1 / 3 हिस्सा, 1 / 3 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 1 का था तथा 1 / 3 हिस्स रेस्पोडेंट संख्या 2 ,3, 4 का था। उक्त खसरान भूमि अपीलांट एवं रेस्पोडेटगण के संयुक्त खातदारी है। जिसमें अपीलांट एवं रेस्पोडेंटगण के हकपूर्वाधिकारी का संयुक्त खातेदारी का रहा है। उक्त खसरा की भूमि के बंटवाड़ा हेतु अपीलांट की माता स्वर्गीय सरीफो एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 6 ने आपसी सहमति से उक्त खसरान का सहखातेदारी के अनुसार बंटवाड़ा दर्ज करने हेतु प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के केम्प नवोड़ा बैरा के यहां दिनांक 08.12.2021 को उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत किया गया। माफिक प्रस्तावित बंटवाड़ा अनुसार रेकर्ड में बंटवाड़ा दर्ज करने के आदेश पारित किये गये जिसके नये खसरा नंबर 2267 / 2135 अपीलांट की माता सरीफों के नाम दर्ज किये गये एवं खसरा नंबर 2266 / 2135 रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम व खसरा नंबर 2268 / 2135 रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 4 दर्ज किया गया एवं खसरा नंबर 2265 / 2135 रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 के नाम दर्ज कर राजस्व अभिलेख नक्शे में तरमीम कर बटटा नंबर डाले गये। अपीलांट की माता सरीफों का साल भर पहले स्वर्गवास हो गया था, जिसका वारिश एकमात्र अपीलांट ही है। फौतगी के पश्चात राजस्व अभिलेख में खसरा नंबर 2267 / 2135 अपीलांट के नाम दर्ज किया गया। अपीलांट की माता व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 6 अनपढ व्यक्ति है व सहमति से बंटवाड़ा करने का आवेदन पत्र पेश किया गया। वास्तविक कब्जे के आधार पर पेश नहीं किया गया एवं मौके पर स्थिति भिन्न है एवं राजस्व अभिलेख में जो बंटवाड़ा वर्णित किया गया वह अनभिज्ञता व मौके के अनुसार व कब्जे के अनुसार सही नहीं था। लेकिन पक्षकारान

न्यायालय जिला कलक्टर (जिला मजिस्ट्रेट) बालोतरा

जिला कलक्टर, बालोतरा

सभी एक ही परिवार के सदस्य है व आपस में रिश्तेदार होने से बिना सोचे समझे सहमति पर अंगुष्ठ निशान कर दिये व उसी के अनुरूप मौके पर राजस्व अधिकारियों ने मौका नहीं देखा एवं उसी रोज सहमति के आधार पर राजस्व अभिलेख में प्रस्तावित सहमति के आधार पर राजस्व अभिलेख में बंटवाड़ा करके बटटा नंबर डाल कर नक्शे में तरमीम कर दी जिसकी स्थिति मौके पर आज भी भिन्न है। पक्षकारान के बीच आपस में तनाजा रहता है एवं मौके पर आज भी अलग अलग हिसाब से काबिज है। मौके पर पक्षकारान के कोई विवाद नहीं है, लेकिन राजस्व अभिलेख बंटवाड़ा में तरमीम सही नहीं होने से आपस में विवाद है, जो पक्षकारान मौके की स्थिति के अनुसार तरमीम बंटवाड़ा करवाना चाहते है। अपीलांट के कब्जे की भूमि में रेस्पोडेंट द्वारा कभी कोई एतराज नहीं किया गया। सहखातेदार अपने अपने हिस्से पर माफिक खातेदारी के काबिज है एवं राजस्व बंटवाड़ा पुनः करवाकर पूर्व में की गई तरमीम को निरस्त कर नई तरमीम करवाने पर सहमत है, जिससे किसी पक्षकारान को कोई हानि नहीं होगी एवं मौके के अनुसार बंटवाड़ा होने से पक्षकारान के बीच कोई तनाजा या विवाद नहीं रहेगा। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाई जाकर प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 कैंप नवोड़ा बैरा दिनांक 08.12.2021 को खसरा नंबर 2135 मौजा नेमतपुरा तहसील पाटोदी में किये गये बंटवाड़ा तरमीम को निरस्त फरमाया जाकर मौके पर कब्जे के अनुसार बंटवाड़ा पुनः नये सिरे से किये जाने का आदेश फरमावे।

6. रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 4 के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी भुमि मौजा कि मौजा नेमदपुरा, पटवार हल्का नवोड़ा बैरा, केसरपुरा, तहसील पाटोदी की सरहद में खसरा नंबर 2135 रकबा 90 बीघा 04 विस्वा भूमि अवस्थित है। उक्त खसरान संपूर्ण भूमि रेस्पोडेंट संख्या 05 व 06 के एकल खातेदारी की थी, जिसमें से 1/2 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 05 व 06 के द्वारा अपीलांट की माता स्वर्गीय सरीफो बैवा आलमखां व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 को समान व शामलाती के रूप में आज से करीबन 15 वर्ष पूर्व बैचान की गई थी। बैचान के उपरांत उक्त खरीद विशेष भूमि का कब्जा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 ता 04 के हक पूर्वाधिकारियों को सुपुर्द किया गया, जिस पर आज रोज उक्त सभी बतौर खातेदार काबिज है। अपीलांट व रेस्पोडेंट के हक पूर्वाधकारियों ने वर्ष 2021 प्रशासन गावों के संग कैंप नवोड़ा बेरा में दिनांक 08.12.2021 को उपस्थित होकर मूल खसरा नंबर 2135 का विधिक बंटवाड़ा किया गया। जिसके अनुसार अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 ता 04 के हक पूर्वाधिकारियों ने जो भूमि खरीद की गई। उक्त भूमि को अपने हिस्से में तथा जिस पर हम रेस्पोडेंट संख्या 05 व 06 बतौर मूल खातेदार भूमि पर काबिज थे। लोक अदालत कैम्प उसी दिन तहसीलदार पाटोदी के द्वारा जल्दबाजी में आकर लोक अदालत प्रशासन गांवो के संग में केवल मात्र खाना पूर्ति हेतु आनन फानन से स्वीकार कर दिया गया। इसलिए उक्त विभाजन आदेश वर्तमान मौका व कब्जा काश्त के विपरित हुआ है। रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 के खसरा संख्या को यथावत रखते हुए अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 व 4 का ही खसरा पुनः विभाजन करना है, इसके लिए रेस्पोडेट संख्या 1 व 6 सहमत है। अतः अपीलाण्ट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.12.2021 को आशिंक निरस्त करने, अपीलाण्ट व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 की

जिला कलक्टर
बालोतरा

आराजी का पुनः बटवाड़ा करने हेतु प्रकरण तहसीलदार पाटोदी को रिमाण्ड का आदेश प्रदान फरमावे।

7. रेस्पोडेंटगण संख्या 5 व 6 के अधिवक्ता दौराने बहस यह कथन किया खेत खसरा नंबर 2135 रकबा 90 बीघा 04 विस्वा मौजा नेमदपुरा पटवार हल्का नवोड़ा बैरा केसरपुरा तहसील पाटोदी की सरहद में स्थित है। जिसमें 1/2 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 का है एवं शेष 1/2 हिस्से में अपीलांट की माता स्वर्गीय सरीफो बैवा आलमखां एवं 1/3 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 01 का था तथा 1/3 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 04 का था। उक्त माफिक सहखातेदारी राजस्व अभिलेख खतौनी 2076 से 2076 में खाता संख्या 13 पर दर्ज थी। उक्त खसरा की भूमि के बंटवाड़ा हेतु अपीलांट की माता स्वर्गीय सरीफो एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 6 ने आपसी सहमति से उक्त खसरान का सहखातेदारी के अनुसार बंटवाड़ा दर्ज करने हेतु प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के केम्प नवोड़ा बैरा के यहां दिनांक 08.12.2021 को उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर बंटवाड़ा पेश किया जिस पर हल्का पटवारी की रिपोर्ट एंव अपीलांट की माता व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 6 की सहमति से उक्त खसरा के बंटवाड़ा राजस्व अभिलेख में सहमति के आधार पर दर्ज करने के आदेश दिनांक 08. 12.2021 को पारित कर माफिक प्रस्तावित बंटवाड़ा अनुसार रेकर्ड में बंटवाड़ा दर्ज करने के आदेश पारित किये गये जिसके नये खसरा नंबर 2267/2135 अपीलांट की माता सरीफों के नाम दर्ज किये गये एवं खसरा नंबर 2265/2135 रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम व खसरा नंबर 2268/2135 रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 4 दर्ज किया गया एवं खसरा नंबर 2265/2135 रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 के नाम दर्ज कर राजस्व अभिलेख नक्शे में तरमीम कर बटटा नंबर डाले गये। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 ता 04 के बीच मौके के अनुसार बटटा नंबर नहीं डाले जाने से अपीलांट ने अपील कर रखी है। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 ता 04 ने इकबाली जवाब पेश किया है, जो रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 के खसरे को यथावत रखते हुए अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 के खसरे का पुनः विभाजन करने हेतु स्वीकार सहमत है। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 ता 04 को कोई आपत्ति नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 05 व 06 का हिस्सा बाबत अपीलांट कोई रिलीफ नहीं चाहता है। अन्य अपीलांट व रेस्पोडेंट अपील स्वीकार करने में सहमत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि रेस्पोडेंट संख्या 05 व 06 के हिस्से में मूल खसरा नंबर 2135 के 2265/2135 डाले गये है, उसी माफिक रखने में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 ता 04 को कोई आपत्ति नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 05 व 06 का हिस्सा बाबत अपीलांट

जिला कलक्टर
बालोतरा

कोई रिलीफ नहीं चाहता है। अन्य अपीलांट व रेस्पोडेंट अपील स्वीकार करने में सहमत है जिससे अपील स्वीकार फरमाने की कृपा करावे।

8. हमने अपीलांट व रेस्पोडेंटगण के अधिवक्तागण की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि अपीलांट तथा रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 6 की सह खातेदारी खसरा संख्या 2135 रकबा 90.04 बीघा की भूमि मौजा नेमदपुरा, पटवार हल्का नवोड़ा बेरा केसरपुरा, तहसील पाटोदी, जिला बालोतरा में अवस्थित है। उक्त खसरे में से 1/2 हिस्सा रेस्पोडेट संख्या 5, 6 का है तथा शेष 1/2 हिस्से में अपीलांट की माता सरीफो बैवा आलमखां का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 1 का था तथा 1/3 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 2 ,3, 4 का है। उक्त खसरान भूमि अपीलांट एवं रेस्पोडेटगण के संयुक्त खातदारी है। जिसमें अपीलांट एवं रेस्पोडेंटगण के हकपूर्वाधिकारी का संयुक्त खातेदारी का रहा है। उक्त भूमि के खातेदारान अपीलांट व रेस्पोडेंटगण ने प्रशासन आपके द्वार अभियान 2021 कैम्प नवोड़ा वेरा में सह खातेदारान द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08.12.2021 को उपस्थित हुए संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। प्रस्तुत सहमति विभाजन पर तथा पटवारी रिर्पोट के आधार पर तहसीलदार पाटोदी विभाजन आदेश क्रमांक/राजस्व/2021/07 दिनांक 08.12.2021 द्वारा पारित किया गया। चूंकि पक्षकारान की मुख्य आपत्ति है कि बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत हुआ है, जिसके कारण राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति का मिलान नहीं हो रहा है एवं पक्षकारान को अपुर्णीय क्षति हो रही है। इस संबंध में अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 ने कथन किया कि उनके हिस्से में जो खसरा नंबर 2265/2135 रखा गया था, वे उसी को यथावत रखना चाहते हैं। चूंकि अपीलांट और रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 4 रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 के हिस्से से कोई रिलीफ नहीं चाहते हैं और उनके खसरे को यथावत रखने पर सहमत हैं, इसलिए रेस्पोंडेंट संख्या 5 व 6 को इस अपील को स्वीकार किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 4 ने कथन किया कि रेस्पोंडेंट संख्या 5 व 6 के खसरा नंबर को यथावत रखते हुए और केवल अपीलांट व रेस्पोंडेंट 1 से 4 के खसरे का पुनः विभाजन करने हेतु अपील को स्वीकार करने और तहसीलदार पाटोदी को प्रकरण रिमांड करने हेतु पूर्ण रूप से सहमत हैं। रेस्पोंडेंट संख्या 5 व 6 का 1/2 हिस्सा निर्विवाद है और सभी पक्षकार

जिला कलक्टर
बालोतरा

उनके खसरा नंबर 2265 / 2135 को यथावत रखने पर सहमत हैं। विवाद केवल अपीलांट और रेस्पोंडेंट 1 से 4 के बीच खसरा नंबरों और तरमीम को लेकर है। राजस्व विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि विभाजन (बंटवारा) हमेशा पक्षकारों के वास्तविक भौतिक कब्जे और उनके विधिक हक–हिस्से के सामंजस्य के अनुसार होना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई तनाजा या शांति भंग न हो। चूंकि तत्कालीन अधिकारियों द्वारा बिना मौका देखे जल्दबाजी में आदेश पारित किया गया, इसलिए यह आदेश आंशिक रूप से निरस्त किए जाने योग्य है। इस प्रकार तहसीलदार पाटोदी द्वारा जारी आलोच्य विभाजन आदेश को आंशिक निरस्त करते हुए रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 के खसरे को यथावत रखते हुए केवल अपीलांट व रेस्पाडेंट संख्या 1 ता 4 के खसरो में संशोधन कर रिमाण्ड करना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील पक्षकारों की आपसी सहमति एवं इकबाली बयानों के आधार आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार पाटोदी द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक / राजस्व / 2021 / 07 दिनांक 08.12.2021 को आंशिक निरस्त किया जाता है। लिहाजा प्रकरण तहसीलदार पाटोदी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 के खसरा संख्या 2265 / 2135 को यथावत रखते हुए समस्त पक्षकारान की सहमति के आधार पर एवं सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए अपीलांट व रेस्पाडेंट संख्या 1 ता 4 के खसरों का ही पुनः विभाजन की कार्यवाही करें।

10. निर्णय आज दिनांक **03.06.2026** को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा